

कार्यालय कमिश्नर, राज्यकर/वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांक: :लखनऊ: 27 जुलाई, 2017

--:कार्यालय आदेश:--

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा-4 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से नीचे अंकित सारणी के स्तम्भ दो में उल्लिखित राज्यकर/वाणिज्यकर जोन के अंतर्गत स्तम्भ-4 में अंकित न्यायिक संभाग के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (अपील) को स्तम्भ-5 में उपदर्शित वाणिज्यकर मण्डल/खण्ड, स्तम्भ-6 में उपदर्शित सचलदल इकाईयों एवं स्तम्भ-7 में उपदर्शित वि0अनु0शा0 इकाईयों के अपीलीय अधिकारी का क्षेत्राधिकार एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है-

क्र0 सं0	परिसम्भाग (जोन) का नाम	न्यायिक सम्भाग स्थल का नाम	एडी0कमि0 ग्रेड-2 (अपील) का न्यायिक संभाग	एडी0कमि0 ग्रेड-2 (अपील) के अधिक्षेत्र में सम्मिलित खण्ड/मण्डल के नाम	निहित सचल दल इकाईयाँ	निहित वि0अनु0शा0 इकाईयाँ
1	2	3	4	5	6	7
1	गाजियाबाद-प्रथम	गाजियाबाद	एडी0 कमि0 ग्रेड-2 (अपील) प्रथम गाजियाबाद	गाजियाबाद खण्ड- 1, 2 व 3, कारपोरेट सर्किल- गाजियाबाद प्रथम हापुड़ मण्डल के सभी 4 खण्ड।	सचल दल प्रथम, चतुर्थ इकाई गा0बाद	वि0अनु0शा0 गाजियाबाद-ए
2		गाजियाबाद	एडी0 कमि0 ग्रेड-2 (अपील) द्वितीय गाजियाबाद	गाजियाबाद खण्ड- 8, 9, 10, 11, 12	सचल दल पंचम, षष्ठम इकाई गा0बाद	वि0अनु0शा0 गाजियाबाद-बी
3		गाजियाबाद	एडी0 कमि0 ग्रेड-2 (अपील) तृतीय गाजियाबाद	गाजियाबाद खण्ड- 4, 5, 6 व 7 तथा मोदीनगर के एकल खण्ड।	सचल दल द्वितीय व तृतीय इकाई गा0बाद	

